न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, बक्सर।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1453/2025

कलीमुल्लाह कुरैशी

बनाम

बिहार सरकार

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता..... श्री आर0 रणविजय ओझा।
सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता.....श्री केदारनाथ तिवारी, लोक अभियोजक।
सूचक की ओर से विद्वान अधिवक्ता.....श्री धर्मेन्द्र कुमार।

दिनांक– 04.04.2026

डुमरॉव (नया भोजपुर) थाना कांड संख्या 452/2022

अन्तर्गत धारा–341, 342, 384, 307, 379, 504, 506/34 भा0द0वि0

आदेश

1. आवेदक/अभियुक्त कलीमुल्लाह कुरैशी की ओर से दाखिल किया अग्रिम जमानत को सुना गया।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता कहना है कि आवेदक निर्दोष है तथा प्रस्तुत कांड में झूठा और जानबूझकर फंसाया गया है। आवेदक इससे पहले किसी भी प्रकार की कोई जमानत याचिका, चाहे वह अग्रिम हो या नियमित, न तो इस अदालत में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई है और न ही किसी अन्य अदालत में लम्बित है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः आवेदक द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकार किया जाए।

3. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा सूचक के अधिवक्ता की सहायता से अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

4. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि इस वाद के सूचक नफीस एजाज का सूचना में कथन है कि दिनांक–04.10.2022 को समय करीब 8:00 बजे सुबह में अपनी मोटरसाईकिल संख्या–BR03Q1715 से अपनी पत्नी जैनब खातून वो दोनों पुत्री इंशा एजाज एवं अरिफा एजाज के साथ घर से अपनी बहन उज्मा परवीन के यहॉ दाउदनगर जिला औरंगाबाद बिहार के लिये प्रस्थान किये रास्ते में बिक्रमगंज से लगभग 03 किलोमीटर पहले मुख्य सड़क पर मेरी पत्नी मोटर साइकिल से गिर गई जब मैंने बाइक को रोका देखा की मेरी पत्नी के सिर के पीछे चोट लगी थी मैं उसको करूना अस्पताल बिक्रमगंज जिला रोहतास ले गया जहां डाक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया तब मैं स्कार्पियो से मृत पत्नी को घर नया भोजपुर ले आया। मृत्यु की सूचना मेरे द्वारा अपने साले अब्दुल्लाह कुरैशी तथा ससुर कलीमुल्लाह कुरैशी को दी तथा वे लोग जिद करने लगे कि इसका पार्थिव शरीर को कफन दफन अपने यहां करेंगे, ये अभद्र व्यवहार एवं गालीगलौच करने लगे। दिनांक 05.10.2022 को मेरी मृतक पत्नी को दफन किया गया । दिनांक 07. 10.2022 को चहारम में शामिल होने के लिए एकरामुर रहमान , तारिक अजीज, फरहान अब्दाली , मो0 फिरोज ये सभी लोग नवीनगर मस्जिद वासेपुर ध*नवाद* झारखंड उसके ससुराल पहुंचे वहां पर ससुराल पक्ष के एम डी फी अमानुल्लाह, नूरूल्लाह ,अब्दुल्लाह कलीमुल्लाह कुरैशी अपने हाथ में लोहे की राड और नूरुल्लाह अपने हाथ में देशी कट्टा के साथ उपरोक्त मकान में पहुंच कर कमरे का दरवाजा बंद कर सुनियोजित तरीके के तहत जान मारने की नियत से मार पीट करने लगे । कलीमुल्लाह कुरेशी बंदी बनाकर मेरे पिता से फिरौती की मांग फोन से करने लगा। एम डी फी अमानुल्लाह ने जान से मारने के लिए सर पर मारा जिसे मैं अपने हाथ से रोका फिर तुरंत राड से हीप्स व दाहिने पैर पर लौहे की राड से मारा जिससे मैं गंभीर रूप से जख्मी हो गया। एकरामुर रहमान को अब्दुल्लाह एवं कीमुल्लाह कुरैशी

दोनों मिलकर जान से मारने की नियत से गला दबाने लगे तथा बाएं गदर्न पर लोहे की राड से अब्दुल्लाह मारा, काफी गंभीर चोटें आयीं जिससे गर्दन पर लोहे की राड से अब्दुल्लाह मारा, काफी गंभीर चोटें आयीं जिससे गर्दन पर जख्म निशान बन गया। फरहान अब्दाी को नूरूल्लाह ने अपने हाथ में देशी कट्टा सटा कर जान से मारने की नियत से लोहे की राड से सर पर मारा परंतु बचने के क्रम में हाथ के केहुनी में चोटें आयी । सूचक नफीस एजाज के टंकित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई।

5. उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। सूचक नफीस एजाज के सूचना में आवेदक कलीमुल्लाह कुरैशी पर एकरामुर रहमान को जान से मारने की नियत से गला दवाने का स्पेसिफिक इलजाम है। उस पर सूचक के पिता से फिरौती मांगने का भी स्पेसिफिक इल्जाम है। कांड दैनिकी के पैरा 03 में वादी नफीस एजाज ने, पैरा 04 में साक्षी मो0 असफाक, पैरा 05 में साक्षी संतोष केशरी ने घटना का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के पैरा 13 में जख्मी तारिक अजिज को चेस्ट पर सिम्पल इंजरी हार्ड ऐंड बेलन्ट ऑब्जेक्ट से की हुई प्राप्त हुई । चेस्ट बाइटल पार्ट ऑफ बॉडी है। कांड दैनिकी के पैरा 16 में जख्मी इकरामुर रहमान को गर्दन में सिम्पल इंजरी, हार्ड एंड विलन्ट आब्जेक्ट द्वारा की हुई प्राप्त हुई । गर्दन भी बाइटल पार्ट ऑफ बॉडी है। प्राथमिकी में धारा 307 भारतीय दण्ड विधि अंकित है, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। धारा 307 भा0द0वि0 को आकर्षित करने के लिए सिर्फ सिम्पल इंजरी पर्याप्त है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों पर विचारोपरान्त आवेदक/अभियुक्त कलीमुल्लाह कुरैशी का अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1453/2025 खारिज किया जाता है।

(लेखापित व शुद्धित)
ह0/–
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
बक्सर।